न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – **महेन्द्र सिंह रतनू**

प्रकरण संख्याः– 2023/10

राज. सरकार

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
2. रामचन्द्र–लक्ष्मीनारायण–राजेन्द्र–रामनिवास पिसरान रामप्रताप जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
3. पवन पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः–20.09.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का दलपतपुरा ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जयप्रकाश पुत्र धर्मपाल, रामचन्द्र, लक्ष्मीनारायण राजेन्द्र, रामनिवास पि0 रामप्रताप, पवन पुत्र बनवारीलाल कौम जाट साकिन दलपतपुरा द्वारा खसरा नं. 2/2 में 4.562 है0 में ग्वार, 0.253 है0 में मूंग, ख0न0 2/3 में 2.6710 है0 में ग्वार इस प्रकार उक्त दोनो खसरो में कुल 7.486 है0 किस्म गैर मुमकिन सिवायचक भूमि पर नाजायज रूप से काश्त कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया अप्रार्थीगण जरिए वकिल नरेन्द्र किशोर जोशी के साथ उपस्थित होकर सयुक्त रूप से अपना एक जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण द्वारा दिया गया जवाब सतोषजनक प्रतीत नही होता है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा गैर मु0 सिवायचक की भूमि पर नाजायज रूप से काश्त करने पर अतिकमी घोषित किया जाता है एवं भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि 900/– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक मेघाना को आदेश जारी हो कि उक्त भूमि पर बहक सरकार कुर्क फसल की निलामी करवाई जाकर बाद अनुमोदन खजानाराज जमा करावे एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर अलग से बेदखली रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह रतनू R.T.S.)
तहसीलदार (राजस्व) नोहर